सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय गौकुल मिशन

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग

राष्ट्रीय गौकुल मिशन

राष्ट्रीय गौकुल मिशन

भूमिका

भारत में गोपशु पालन एक पारम्परिक आजीविका रही है और यह कृषि अर्थव्यवस्था से अत्यधिक सम्बद्ध है। भारत में 190 मिलियन गोपशु हैं (19वीं पशुधन संगणना, 2012 के अनुसार) जो विश्व के कुल गोपशु का 14.5% हैं। इनमें से, 151 मिलियन देशी गोपशु हैं जो कुल गोपशु का 80% हैं।

भारत में गोपशु आनुवंशिक संसाधन भली-भांति मान्यताप्राप्त 37 नस्लों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में देशी गोपशु हट्टे-कट्टे और लोचदार हैं और वे विशेष रूप से अपने-अपने प्रजनन क्षेत्रों की जलवायु और पर्यावरण के उपयुक्त होते हैं। उनमें ऊष्मा सध्यता, रोगों के प्रति प्रतिरोध की क्षमता और जलवायु और पोषाहार के अत्यधिक दबाव में पनपने की योग्यता होती है।

व्यावसायिक फार्म प्रबंधन और बढिया पोषाहार के जरिये भारत में देशी नस्लों की उत्पादकता में वृद्धि करने की अत्यधिक संभाव्यता है। देशी नस्लों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना अनिवार्य है। 2003 और 2007 के बीच, देशी गोपशु की संख्या में 3.44% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय गौकुल मिशन का उद्देश्य एक संकेन्द्रित और वैज्ञानिक तरीके से देशी नस्लों का संरक्षण और विकास करना।

देशी नस्लों का महत्व:

2012-13 के दौरान लगभग 44.51 मिलियन गोपशु दूध दे रहे थे और उनका योगदान 59 मिलियन टन दूध था, गोपशु न केवल दुग्ध उत्पादन में अत्यधिक योगदान देते हैं बल्कि कृषि कार्यों के लिए भारवाही पशु भी मुहैया करते हैं। छोटे किसानों द्वारा अधिकांश कृषि कार्य बैलों द्वारा किए जाते हैं। देशी गाय 'जीबू' में वर्गीत है और कूबर होने के कारण भार उठाने के लिए उपयुक्त होते हैं।

देशी गोपशु ऊष्मा सहयता, रोग प्रतिरोध, किलनी प्रतिरोध के गुणों के लिए जाने जाते हैं और उनमें जलवायु स्थितियों का अत्यधिक मुकाबला करने की क्षमता होती है। डेयरी पशुओं के

दुग्ध उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन और तापमान में वृद्धि का दुग्ध उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 2020 में तापीय दबाव के कारण गोपशुओं और भैंसों के दुग्ध उत्पादन में वार्षिक हानि लगभग 3.2 मिलियन टन होगी जिसका मूल्य वर्तमान दरों पर 5000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। दुग्ध उत्पादन और जनन क्षमता में गिरावट सबसे अधिक संकर नस्ल के गोपशुओं और उसके बाद भैंसों में होगी। जलवायु परिवर्तन से देशी नस्लें कम से कम प्रभावित होंगी क्योंकि वे तगड़ हृष्टपुष्ट होते है।

उष्मा सहायता, किलनी और कीट प्रतिरोध, रोगों के प्रति प्रतिरोध और प्रतिकूल जलवायु के अधीन पनपने की योग्यता के कारण, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्राजील और आस्ट्रेलिया सहित कई देशों द्वारा ऊष्मा-सह रोग प्रतिरोध स्टॉक का विकास करने के लिए इन पशुओं का आयात किया गया है।

अधिकांश देशी गोपशु नस्लों में अन्य स्थानिक जो ए-1 टाइप एनेले की अपेक्षाकृत अधिक फ्रीक्वेंसी के लिए जाने जाते हैं, गोपशु, की तुलना में बेटा केसिन के ए-2 एलेने होत हैं। यह अध्ययन किया गया है कि ए-1 दूध संभवतया मधुमेह, हृदय रोगों आदि जैसे कुछ उपापचयी विकारों से सम्बद्ध होता है। और देशी नस्लों के ए-2 दूध में ऐसी कोई सम्बद्धता नहीं होती है।

देशी नस्लों की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता

भारवाही पशु शक्ति, गुणवत्तायुक्त दूध, गाय का गोबर (जैविक खाद) और गऊ मूत्र (चिकित्सा महत्व) की आपूर्ति के माध्यम से देशी पशु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। देशी नस्लों की तुलना में संकर नस्लें अधिक उत्पादनकारी होती हैं लेकिन कम आदान और खराब जलवायु की भारतीय स्थितियों के अधीन उनकेरहने की प्रवृत्ति, ऊष्ण कटिबंधीय रोगों के प्रति उनकी अति संवेदनशीलता के कारण देशी नस्लों का संरक्षण और विकास करना अपेक्षित है।

कुछ देशी नस्लों में इष्टतम फार्म प्रबंधन के अधीन अधिक दूध देने वाले वाणिज्यिक पशु बनने की काफी अधिक क्षमता है किसी नस्ल के विकास के लिए पूर्वापेक्षा यह है- (क) न्यूनतम आधार संख्या में होना, और (ख)

अपेक्षाकृत कम समय में का वाणिज्यिक दृष्टि व्यवहार्य दुधारू पशुओं के रूप में विकास करने की क्षमता वाले देशी गोपशु की डेयरी नस्लें ये हैं: पंजाब में साहिवाल, राजस्थान में राठी और थारपकर तथा गुजरात में गीर और कंकरेज। यदि सहोदर भाई और संतति परीक्षण के

जरिये इन नसलों का अनुवांशिक रूप से चुनिंदा बैलों के साथ मिलन करवाया जाता है तो एफ-1 आफॅ स्प्रिंग वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य होगा। पूरी नस्ल का कुछ पीढियों में उन्नयन हो जाएगा।

पुंगानुर, वेचुर और कृष्णा वैली जैसी देशी नस्लें कम हो रही हैं, अतः इन नस्लों का उनके प्रजनन क्षेत्रों में बचाव और संरक्षण किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

क) देशी गोपशु नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम आरम्भ करना ताकि उनकी आनुवंशिक रचना में सुधार कियाजा सके और उनकी उपलब्धता में वृद्धि की जा सके।
ख) महत्वपूर्ण देशी नस्लों जैसे गीर, साहिवाल, राठी, देओनी, थारपरकर, रैड सिंधी का उपयोग करके नॉन-डिस्क्रिप्ट गोपशु की आबादी का उन्नयन करना।
ग) प्राकृतिक सेवाओं के लिए उच्च आनुवंशिक गुणों वाले रोग मुक्त सांडों का वितरण करना।

12वीं योजना की शेष अवधि के दौरान सहायता का पैटर्न और धनराशि की आवश्यकता

राष्ट्रीय गौकुल को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर कार्यान्वित किया जयेगा।

कार्यान्वयन एजेंसी:

राष्ट्रीय गौकुल मिशन को राज्य कार्यान्वयन एजेंसिस (एसआईए अर्थात् पशुधन विकास बोर्डों) के माध्यम कार्यान्वित किया जयेगा। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को प्रसताव प्रायोजित करने और योजनाके कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए राज्य स्तरीय गोसवा आयोगों को कार्य सौंपा जाएगा। सीएफएस पीटीआई, सीसीबीएफ, आईसीएआर, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, गैर-सरकारी संगठन और सर्वोत्तम जर्मप्जलाज्म के साथ गोशालाओं जैसी सभी एजेंसियां जिनका देशी गोपशु विकास में योगदान है, भागीदारी एजेंसियां होंगी।

योजना के घटक:

राष्ट्रीय गौकुल मिशन के निम्नलिखित घटक होगे:

क) प्रजनन क्षेत्र में ग्राम स्तरीय प्रजनन केन्द्र (गौग्राम) की स्थापना

ख) देशी गोपशु नस्लों के लिए सांड माता फार्मों का/सुदृढीकरण

ग) प्रजनन क्षेत्र में फील्ड निष्पादन रिकार्डिंग (एफपीआर) की स्थापना

घ) श्रेष्ठ जर्मप्लाज़्म भण्डारण वाली गौशालाओं को सहायता

ड) अधिक जनसंख्या वाली देशी नस्लों के लिए वंश चयन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

च) प्रजनन क्षेत्र में प्रजनक समितियों की स्थापना

छ) प्राकृतिक सेवा के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुण वाले सांडों का वितरण

ज) देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं के रख-रखाव वाले किसानों को प्रोत्साह

झ) 25 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर कलोर पालन कार्यक्रम

ञ) प्रजनक समितियों को पुरस्कार

ट) देशी दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिताओं का आयोजन

ठ) गोपशु विकास में लगे संस्थानों में कार्यरत तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

1. गौकुलग्राम

घटक के अधीन देशी नस्लों के प्रजनन क्षेत्र में एकीकृत गोपशु प्रजनन केंद्र के रूप में गउग्राम स्थापित करना प्रस्तावित है। गउग्राम देशी प्रजाति के विकास के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और प्रजनन क्षेत्र में किसानों को पशुओं की आपूर्ति हेतु संसाधन का काम करेगा। ए-2 दूध कार्बनिक मैन्योर, वर्मिन कम्पोस्टिंग मूत्र आसवन की बिक्री और घर में उपभोग के लिए वायोगैस से बिजली का उत्पादन और पशु उत्पादों की बिक्री से गौकुलग्राम स्वतः आत्मनिर्भर और आर्थिक संसाधन उत्पन्न करेंगे। गौकुलग्राम किसानों, प्रजनकों और मैत्री के लिए भी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

एसआईए/ईआईए या पीपीपी मोड के तत्वावधान में प्रत्येक गौकुलग्राम की स्थापना की जाएगी और कार्य करेंगे। गौकुलग्राम दुधारू और अनउत्पादक पशुओं को 60:40 के अनुपात में करेंगे और लगभग 1000 पशुओं के रख-रखाव की क्षमता होगी। गौकुलग्राम गृह-चारा के माध्यम में पशुओ की पोष्टिकता की आवश्यकता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। गौकुलग्राम को महत्वपूर्ण रोगों जैसे ब्रसेलोसिल, क्षय और जेडी की पशुओं की नियमित जांच करके गौकुलग्राम को रोगमुक्त रखा जा सकता है। एक अन्तस्थ पशु

चिकित्सा और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र गौकुलग्राम का आन्तरिक भाग होगा। महानगरों के समीप भी शहरी गायों की देखभाल के लिए गौकुलग्रामों की स्थापना की जाएगी।

2. देशी गोपशु नस्लों के लिए साड़माता फार्मों का सुदृढ़ीकरण:

घटक के अधीन देशी नस्ल के पशुओं के प्रबंधन के लिए अच्छी अवसंरचना सहित 50 साड़माता फार्मों को चिह्नित करना प्रस्तावित है। प्रजनन फार्मों को इस प्रकार से चिह्नित किया जाएगा कि विशेष देशी नस्ल के प्रजनन क्षेत्र में चिह्नित फार्म स्थित है। ये फार्म देशी नस्लों के स्रोत होंगे और वे प्राकृतिक सेवा के लिए उच्च आनुवांशिक गुण वाले रोगमुक्त सांड की आपूर्ति करेंगे। घटक के अधीन मौजूदा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए उत्कृष्ट प्रजनन स्टाक, वायोगैस संयंत्र मूत्र आसवन संयंत्र और फार्म की आवश्यकता के अनुरूप अन्य उपकरण की खरीद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साड़माता फार्म प्रजनन स्टाक, दूध और दूध उत्पादों, कार्बनिक मैन्योर मूत्र आसवन, बिजली, रूट स्लिप्स, स्टेम स्लिप्स और चारा बीजों के बिक्री के माध्यम से स्वयं संधारणीय होगा। पशुओं के रोगों की नियमित जांच करके फार्म की रोगमुक्त स्थिति के कायम रखा जा जा सकेगा।

3. प्रजनन क्षेत्र में क्षेत्र निष्पादन रिकार्डिंग (एफपीआर)

डेयरी पशुओं के विकास के लिए क्षेत्र निष्पादन दूध रिकार्डिंग कार्यक्र कम(एफपीआर) प्रारम्भिक कार्यकलाप है। एफपीआर के अन्तर्गत एवं अन्य विशेषताएं रिकार्ड की जाती है। जिसमें उच्च आनुवांशिक क्षमता वाले पशुओं को चिह्नित किया जाता है। प्रजनन क्षेत्र और प्रजनन क्षेत्र के बाहर प्रजनन के निष्पादन की कमी को रोकने के लिए और इसके अतिरिक्त नस्ल के विकास के लिए उत्कृष्ट पशु का प्रचार-प्रसार किया जाता है। घटक के अधीन एनबीएजीआर द्वारा मान्यताप्राप्त देशी नस्लों के प्रजनन क्षेत्र में एफपीआर को शुरूआत करना प्रस्तावित है। ए आई केंद्र की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी, दूध रिकार्डर की स्थापना, पर्यवेक्षक, सामरिक महत्व के क्षेत्र में कम्प्यूटर, डाटा रिकार्डिंग के लिए एमआईएस मिल्कोटेस्टर, आईसीएआर विधि के अनुसार पशुओं की पहचान और रिकार्डिंग(पशु रिकार्डिंग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय

समिति), रिकार्डिंग के अधीन पशु रोगों की जांच, कार्यक्रम और बछड़ा पालन केंद्रों में भाग लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए घटक के अधीन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक एफपीआर कार्यक्रम 50 गांवों को कवर करेगा और 5000 पशुओं को रिकार्डिंग के लिए लाया जाएगा। कार्यक्रम में मानक स्तर से उपर और विशेषीकृत पशु रखने वाले किसानों को सुविधा और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

4. उन संस्थानों को सहायता देना जो सर्वोत्तम जर्मप्लाज्म के भण्डार हैं

कुछ न्यास एनजीओ गउशाला, देशी नसलों के अच्छे जर्मप्लाज्म के भण्डार हैं। देशी नसलों के संरक्षण और विकास के लिए न्यासों, एनजीओ और गउशालाओं को संलग्न करने और सहयोग देने की आवश्यकता है। मैत्री प्रशिक्षण और स्थापना, यूआईडी उपयोग करने वाले जानवारों की पहचान, रोग जांच और टीकाकारण, बायोगैस संयंत्र और कार्बनिक मैन्योर के लिए इस घटक के अधीन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। रोगमुक्त उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले पशुओं को इन न्यासों, एनजीओ, और गउशालाओं को वापस प्रजनन कार्यक्रम में लाया जाएगा।

5. अधिक संख्या वाले देशी नस्लों के लिए नस्ल चयन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

नस्ल चयन और संतति परीक्षण जैसी विधियों के माध्यम से साड़ों का चयन किया जा सकता है। देशी नस्लों में नस्ल चयन के माध्यम से साड़ों के चयन के लिए प्रयास किया जा सकता है। चूंकि अधिक ए-1 कवरेज की कमी के कारण और देशी नस्लों की कम संख्या संतति परीक्षण को अव्यवहारिक बनाती हैं। नस्ल चयन का आधार मूलफार्मों के निष्पादन पर अच्छे साड़ों का चयन आधारित है। (दूध उत्पादन ट्रेटों के संबंध में मादा दूध उत्पादन)

6. गौपालन संघ (प्रजनन क्षेत्र में प्रजनक समितियों की स्थापना)

देशी नस्लों के विकास और संरक्षण में प्रजनक समितियां निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। विश्व में अधिकांश नस्लें प्रजनक समितियों और संगठनों द्वारा विकसित की जाती है। वर्तमान में देश में केवल कुछ प्रजनक संगठन उपलब्ध है और कार्य कर रहे हैं- गुजरात में गिर कांकरेज प्रजनक संगठन/मिशन के अंतर्गत स्वतः सधारण के आधार पर प्रजनक संगठन को गठित करने का प्रयास किया किया जाएगा। प्रजनन क्षेत्र में पशुओं की रिकार्डिंग, कृत्रिम गर्भाधान के लिए साड़ों का उपयोग करने की संस्तुति किया जाना, और क्षेत्र में एनएस, किसान सदस्यों के सात्वना सहित नस्ल का मानकीकृत फिनोटाइपिक विशेषता और आनुवांशिक असंतुलन से संबंधित रिपोर्ट एकत्रित करने के लिए संगठन रिकार्डिंग करेगा। संगठन पशुओं की बिक्री और क्रेता से कर संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विशेष देशी नस्ल के डाटा के प्रबंधन से संबंधित सदस्यों से प्रजनक संगठन शुल्क इकट्ठा करेगी। घटक के अधीन प्रजनक संगठन (कार्यालय, कम्प्यूटर और अन्य उपक्रण) की स्थापना के लिए और प्रारंभिक अवधि के दौरान आवर्ती व्यय को प्राप्त करने के लिए घटक निधि हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 12वीं योजना की शेष अवधि के दौरान 10 प्रजनक समितियां स्थापित की जाएंगी। साड़ या प्राकृतिक सेवा के लिए पंजीकरण सं संबंधित उत्तरादायित्व और प्रजनक समितियों द्वारा कृत्रिम गर्भाधन कराया जाएगा ताकि वीर्य केंद्रों द्वारा प्राकृतिक सेवा के लिए उसी की तरह साड़ के नस्लों को बनाए रखा जाए और उसी की तरह साड़ की नस्ल का वितरण किया जाए।

7. प्राकृतिक सेवा के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुण वाले सांडों का वितरण

इस घटक के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को अच्छी नस्ल के रोगमुक्त सांड खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी इन सांडों का वितरण **प्राकृतिक** गर्भाधान के लिए करेगी। इस घटक के अंतर्गत समय से व्यापक सांडों की जांच का भी प्रावधान होगा।

8. स्वदेशी नस्ल के उत्कृष्ट पशुओं को बनाए रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहन

देशी नस्लों को बनाए रखने वाले किसानों की पहचान देशी पशुओं के पालन करने वाले किसानों की अधिक संख्या को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किसानों के पास उत्कृष्ट पशुओं को प्रजनन कार्यक्रम में वापस लाया जाएगा। निःशुल्क ए-1 सेवा देकर देशी नस्लों को बनाए रखने के लिए किसानों की सहायता देना, डिवार्मिंग, खाद्य मिश्रण टीकाकरण और रोग परीक्षण के लिए घटक के अधीन कार्यान्वयन एजेंसी को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एजेंसी देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं को बनाए रखने वाले किसानों की सूची रखेगी और उनके प्रजनन स्टाक की बिक्री में मदद करेगी।

9. ओसर पालन कार्यक्रम

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संकर बछड़ों का पालन करने वाले किसानों को सहायता दी जाती है किन्तु देशी नस्लों को बनाए रखने वाले किसानों को सहायता नहीं दी जाती है। देशी नस्ल के महत्व को देखते हुए देशी पशुओं को बनाए रखने वाले किसानों को घटक के अधीन सहायता दी जानी प्रस्तावित है। क्षेत्र में देशी नस्ल के बछड़े के पैदा होने पर मासिक आधार पर वजन प्राप्त करने पर गोपशु आहार का वितरण, बछड़ों का डिवार्मिंग, टीकाकरण की पहचान और रिकार्डिंग के लिए एजेंसी को घटक के अधीन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एजेंसी उत्कृष्ट साड़ों या कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक सेवा के द्वारा ओसर के प्रजनन के लिए व्यवस्था करेगी।

10. किसानों गउशालाओं और प्रजनक समितियों को पुरस्कार

घटक के अधीन सर्वोत्तम यूथ और सर्वोत्तम प्रबंधन की पद्धतियों को कायम रखने वाले किसानों को सुविधाएं और **गोपाल रत्न** पुस्कार प्रदान किया जाएगा। सर्वोत्तम प्रबंधित गउशालाओं और प्रजनक समितियों को 'कामधेनु' पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। देश में गोपशु और भैंस के विकास के लिए पुरस्कार के लिए आवेदन सभी

एजेंसियों से मांगे जाएंगे और केंद्र में एक समिति की जाएगी जो पुरस्कारों का निर्णय करेगी।

11. दूध उत्पादन प्रतियोगिता का आयोजन:

इस घटक में कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य स्तर पर दूध उत्पादन प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए राशि जारी की जाएगी। दूध उत्पादन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पशुओं का रिकार्ड उचित ढंग से की जाएगी। प्रतियोगिता के दौरान चिह्नित उत्कृष्ट पशुओं को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वापस प्रजनन कार्यक्रम में लाया जाएगा।

12. गोपशु विकास में लगे संस्थानों में कार्यरत तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

इस घटक के अधीन गोपशु विकास में लगे संस्थानों में कार्यरत तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित इस घटक के अधीन किया जाएगा। 12वीं योजना अवधि के दौरान राज्यों की पशुपालन विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, पशुचिकित्सा महाविद्यालयों, केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों, सीएफएसपीएंड टी आई तथा एनडीआरआई में 14,000 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा।

गौकुल ग्राम परियोजना

राष्ट्रीय गौकुल मिशन

'गौकुल ग्राम परियोजना'

संकल्पना दस्तावेज

उद्देश्य:

देश में बोवाईनों की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन विकास के उद्येश्य से राष्ट्रीय गौकुल मिशन के अंतर्गत एकीकृत स्वदेशी गोपशु केन्द्र- 'गौकुल ग्राम'- स्थापित किए जाएगे। गौकुल ग्राम (क): स्वदेशी गोपशु नस्ल के मूल प्रजनन ट्रैक्ट तथा (ख): महानगरों तथा बड़े शहरों (शहरी गोपशुओं के लिए) के उपनगरों में, निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ स्थापित किए जाएगें:

1) स्वदेशी गोपशु पालन तथा संरक्षण को वैज्ञानिक रीति से बढावा देना।

2) धारणीय रीति से स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाना तथा पशु उत्पादों से आर्थिकआय में वृद्धि करना।

3) स्वदेशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का प्रजनन करना।

4) भारवाही पशु क्षमता के प्रयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना।

5) संतुलित पोषण तथा एकीकृत पशु स्वास्थ्य देखभल प्रदान करना।

6) आधुनिक फार्म प्रबंधन प्रणालियों को अनुकूलतम बनाना और सामूहिक संसाधन प्रबंधन का संवर्धन।

7) ग्रीन पावर तथा पर्यावरण (ईको) प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देना।

कार्यनीति:

स्वदेशी नस्लों के विकास तथा प्रजनन ट्रैक्ट में किसानों को गुणवत्तापुर्ण प्रजनन स्टॉक की आपूर्ति के स्रोत के लिए एक एकीकृत गोपशु प्रजनन केन्द्र के रूप में गौकुल ग्राम स्थापित किए जाएगे। शहरी स्वदेशी गोपशुओं को रखने के लिए कुछ गौकुल ग्राम महानगरों तथा बदे शहरों के पास स्थापित किए जाएगे।

- दुधारू: अनुत्पादक:: 60:40 के अनुपात में आर्थिक तथा अनुत्पादक पशुओंके व्यवहार्य हिस्से के साथ स्वदेशी गोपशु समूह स्थापित किए जाएंगे।

- राज्य कार्यान्वयन एजेंसी/अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी/सरकारी-निजी भागीदारी से प्रबंधित गौकुल ग्राम स्थापित किए जाएंगे।
- राज्य कार्यान्वयन एजेंसी/अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उच्च आनुवांशिक गुणता वाले उत्पादक पशु खरीदे जा सकते हैं।

- पी.पी.पी. माडल के मामले में, क्षेत्र के किसानों से संबद्ध उत्पादक पशुओं को अनुत्पादक/ड्राई पशुओं के साथ रखा जाएगा।

- गौकुल ग्राम राज्य कार्यान्वयन एजेंसी/अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी/गौकुल ग्राम द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा स्थापित किए जाएंगे।

- गौकुल ग्राम, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वदेशी गोपशुओं को रखने के लिए मूल प्रजनन ट्रैक्ट में स्थापित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में स्थापित गौकुल ग्रामों में शहरी गोपशु रखे जाएंगे।

- पोषण: पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाएगा। गौकुल ग्राम में हरे चारे तथा सूखे चारे का उत्पादन किया जाएगा। संतुलित सूखा चारा ब्लॉक के उत्पादन के लिए इनमें ब्लॉक बनाने वाली यूनिटें भी होंगी। पशुओं के विकास तथा प्रजननी निष्पादन में सुधार करने के लिए उन्हें क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण दिए जाएंगे।

- **स्वास्थ्य देखभाल**: पशुचिकित्सा डिस्पैन्सरियों के द्वारा पशु चिकित्सा तथा उर्वरता का ध्यान रखा जाएगा। इस डिस्पैंसरी में प्राथमिक चिकित्सा टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, डिवार्मिंग इत्यादि की सुविधाएं होंगी। गौकुल ग्राम में 'मैत्री' तथा किसानों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए तथा विस्तार गतिविधियों के लिए भी सुविधाएं होंगी।

- **भारवाही पशु शक्ति (डी.ए.पी.)**: भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग उपयुक्त प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप में सभी कृषि संबंधी संचालनों, जैसे हल चलाने, बीज बोने, हार्वेस्ट करने इत्यादि में किया जाएगा। गौकुल ग्राम में डी.ए.पी. चालित टरवाईनों से बिजली सृजित की जाएगी अनुसंधान के माध्यम से विकसित पशु चालित ट्रैक्टरों, हार्वेस्टरों के प्रयोग और उनमें उन्नति किए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा। गौकुल ग्राम में डी.ए.पी. चालित टरवाईनों से बिजली सृजित की जाएगी। सिंचाई के लिए पानी निकालने तथा गौकुल ग्राम में उत्पादित उत्पादों की ढुलाई के लिए भी डी.ए.पी. को बढ़ावा दिया जाएगा। डी.ए.पी. अनुसंधान तथा ऑन फार्म नवाचार, संवर्धन, प्रशिक्षण तथा विस्तार इस परियोजना का एक मूलभूत अंग होगा।
- अपने जीवन के प्रत्येक चरण पर गोपशु का आर्थिक महत्व उत्पादक-गैर उत्पादक और मृत्यु के बाद भी इसकी पहचार की जाती है और वह परियोजना का अन्तिरिक भाग होता है। ये सब परियोजना की व्यवहार्यता इसकी धारणीयता और इसके प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक है।

धारणीयता:

- **आर्थिक रिटर्न सुनिश्चित किया जयेगा**:
    - यूथ आकार (प्रस्तावित 1000) दूसरे परिचालनों के आकार के साथ पर्याप्त बड़ा होगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना व्यवहार्य और धारणीय है।

- गौकुल ग्राम में सामान्य सुविधाओं और संसाधनों का प्रयोग लाभ में वृद्धि करेगा।

- वैज्ञानिक संसाधन प्रबंधन और व्यवसायिक फार्म प्रबंधन

- दुधारू, शुष्क, मृत गोपशुओं से आर्थिक लाभ के साथ-साथ दोनों उत्पादक और गैर-उत्पादक गोपशुओं के पशु उत्पादों की प्रत्येक स्तर पर मौद्रिक मूल्य, गौग्राम और इसकी संवहनीयता की केन्द्रीय सफलता है।

- गुणवत्तापूर्ण ए2 दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, पशु खाद का विभिन्न रूपों में प्रयोग जैसे मच्छर भगाने के लिए, ताप प्रतिरोधी टाइल्स इत्यादि, मूत्र आसव उत्पाद मृत्यु उपरांत पशु उत्पाद जैसे कि चमड़ा, खाल वगैरा आधारभूत और मूल्य वर्धित पशु उत्पादों की बिक्री।

- गौकुल ग्राम में सांड उत्पादित उच्च आनुवांशिक क्षमता के पशुधन सांड, ग्लोर, बछड़ों आदि को किसानों, प्रजननों और संस्थानों को बेचा जायेगा।

- **पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी** – बायोगैस, बायो कीटनाशक तथा भूमि उर्वरता में सुधार, हरित तकनीक द्वारा नाइट्रोजन कटेंट, बायो उर्वरक, खाद्य के लिए जैव ईंधन

कार्य योजना

- गौकुल ग्राम की क्षमता देशी बोवाईन के यूथ आकार लगभग 1000 होगी जिसमें 60 प्रतिशत उत्पादन प्रजनन योग्य मादाएं और उनके अनुचर तथा 40 प्रतिशत और उत्पादन पशु होंगे।

- गौकुल एक उत्कृष्ट केन्द्र होंगे और पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से रख-रखाव करेंगे।

- पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा विकसित एम.एस.पी. और एस.ओ.पी. का प्रयोग करते हुए राज्य पशुपालन विभाग द्वारा गौकुल ग्राम प्रबंधन को पशुओं वैज्ञानिक प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जायेगा। बदले में वे गौकुल ग्राम में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करके अपने निकट के किसानों को प्रशिक्षित करेंगे।

- गौकुल ग्राम में रखे गये पशुओं की पहचान यू.आई.डी. संख्या के आधार पर होगी। प्रत्येक पशु का डाटा राष्ट्रीय डाटा बेस में डालना होगा।

- अपशिष्ट के प्रावधान के साथ प्रति पशु 10 वर्ग फुट का न्यूनतम स्थान मुहैया करते हुए यूथ को गौकुल ग्राम में निर्मित पारिस्थिति की – अनुकूल शैडों में रखा जाएगा। काव्स के लिए भी बाड़ों का निर्माण किया जाएगा।

- गौकुल ग्राम में रखे गए सभी यूथ का देशी नस्लों के उत्कृष्ट सांडों के वीर्य का उपयोग करके गौकुल ग्राफ में रखे गए सभी यूथ का कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा।

- बीस प्रतिशत यूथ के स्थान पर गौकुल ग्राम में जन्में बछड़ों को प्रति वर्ष रखा जयेगा।

- पशुआं को आहार दने का कार्य एक विशेषज्ञ के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। गौकुल ग्राम में रखे सभी पशुओं को सन्तुलित राशन दिया जाएगा। गौकुल ग्राम में अधिक उपज देने वाली, रूचिकर और पौष्टिक किस्म के चारे, जिसमें अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाए जाएंगे, से यूथ को पोषाहार दिय जाएगा।

- रोग परीक्षण के लिए नयाचार के अनुसार ब्रसेलोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, जोहनेस रोग के प्रति पशुचिकित्सकों द्वारा पशुओं की नियमित रूप से जांच की जाएगी।

- क्षेत्र में व्याप्त रोगों (हाईमोर हेजिक, सपेक्टीसाइमिया, ब्लेक क्वार्टर तथा खुरपका मुखपका रोग) के प्रति पशुओं को टीका लगाया जाएगा।
- दुग्ध में वसा और प्रोटीन के लिए मिल्को-स्कैन का उपयोग करके समुचित रूप से जांच करने के बाद बल्क मिल्क कूलरों (बी.एम.सी.) में उत्पादित दूध का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण किय जाएगा। यदि ई आई ए एक सहकारिता है तो डेयरी सहकारिता द्वारा शीतल दूध खरीदा जाएगा। अन्य सभी मामलों में, डेयरी सहकारी समिति को दूध की बिक्री की जाएगी।

- गौकुल ग्राम के किसानों और प्रबंधन को देशी पशुओं के एन्ट दूध की दरों के अनुरूप प्रीमियम पर नीचे बाजारों में दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री करने का भी विकल्प होगा।

- गाय का गोबर जैविक खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। फार्म में लगभग 3,280 टन खाद का उत्पादन किया जाएगा और मृदा की उर्वरता में सुधर लाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। बाद में पूरे ग्राम को जैविक फार्मिंग में शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- फार्म में बायोगेस प्लांट स्थापित किया जाएगा और गोकुल ग्राम में बिजली उत्पन्न करने के लिए जेनरेटरों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बायोगैस का उपयोग किया जाएगा। बायोगैस से उत्पन्न बिजली का उपयोग नलकूप चलाने और अन्य कृषि कार्यों के लिए किया जाएगा।

- ग्राम में मृदा की उर्वरता में सुधार करने के लए बायो काम्पोस्ट और वर्मि-कम्पोस्ट गड्ढे बनाए जाएंगे।

- गाय के गोबर से हाथ से बने कागज, मच्छर भगाने की अगरबत्तियां, छत पर लगाने वाली ऊष्मा प्रतिरोधक टाइलों, शुष्क और तेलीय डिस्टेम्पर, गमलों आदि जैसे नवीन उत्पाद गौकुल ग्राम में प्रोत्साहित और विनिर्मित किए जाएंगे। वैल्यू एडीशन मुहैया कराने के अलावा, इनसे क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन होगा।

- गाय के मूत्र को जैव-कीटनाशी और जैव उर्वरक में परिवर्तित किया जाएगा और इसका गौकुल ग्राम में उपयोग किए जाएगा और अधिशेष की ब्रिकी की जाएगी। गाय के मूत्र का आसवन औषधि विनिर्माताओं को भी बेचा जाएगा।

- मृत्यु के पश्चात्, विभिन्न उत्पाद तैयार करने हेतु गाय बेच दी जाएगी।

- गौकुल ग्राम में उत्पादित दुग्ध उत्पाद, जैसे गाय का घी, मक्खन और मिठाई जैसे विभिन्न अन्य उत्पाद आदि प्रीमियम दर पर बेचे जाएंगे।

वित्तिय परिव्यय

गोपशु के शैडों, काव्य के बाडों, सिंचाई सुविधाओं, वर्षा के जल के उपयोग, पशुचिकित्सा डिस्पेंनसरी आदि के निर्माण के लिए कुल पूंजीगत निवेश राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के अनुमान के आधार पर होगा। बल्क मिल्क कूलर बायोगैस संयंत्र आदि जैसे उपकरणों के मामले में एनपीबीबीडीडी और विधमान मानदडों के अनुसार होगी।

समय सीमा

गौकुल ग्राम की स्थापना एक वर्ष में पूरी की जाएगी।

प्रत्याशित परिणाम

- देशी नस्लों का संरक्षण और विकास
- स्वदेशी नसलों की बढ़ी हुई उत्पादकता: परियोजना क्षेत्र में करीब 1000 हजार किलोग्राम/ लेक्टेशन तक
- स्वदेशी नस्लों की संख्या में बढौतरी

- क्षेत्र में नॉन-डिस्क्रिप्ट पशुओं के आनुवंशिक उन्नयन हेतु उच्च आनुवंशिक योग्यता रोगमुक्त और अधिशेष महिला काव्ज की उपलब्धता जिससे क्षेत्र के किसानों की जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार हो।

- ए-2 दुग्ध और दुग्ध उत्पादकों के लिए संगठित बाजार तक अत्यधिक पहुंच और परिक्षण में किसानों का उच्चतर स्टेक स्वदेशी नसलों का विकास

- ड्राई डेयरियों और बेधर-गौपशु के लिए शहरी गौपशु और शेल्टर की बढ़ी हुई उत्पादकता।

- ग्रीन पावर का विस्तार तथा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी।

अनुबंध-।

अवसंरचना

क्र.सं.	उपकरण/आवश्यक अवसंरचना
1.	1000 पशुओं की क्षमता वाले घर गोपशु शेड (2), पर्यावरण अनुकूल छत
2.	बछड़ा पेन (1) पर्यावरण अनुकूल छत
3.	सिंचाई सुविधा
4.	वर्षा जल हार्वेस्टिंग
5.	पशुचिकित्सा डिस्पेंसरी
6.	बायो गैस संयंत्र
7.	उत्पादक (डीएपी और बायो गैस द्वारा चालित)
8.	कृषिगत उपकरण (डीएपी द्वारा तैयार)
9.	राशन संतुलन : कम्प्यूटर
10.	मूत्र आसवन संयंत्र
11.	वजन संतुलन
12.	वर्मि खाद गड्ढा
13.	चाफ कटर (डीएपी द्वारा तैयार)
14.	प्रशिक्षण और विस्तार खंड: मैत्री का वास्तविक प्रशिक्षण
15.	प्रशासनिक ब्लॉक: नियंत्रक सेल
16.	अधिक दूध ठंडा करने वाला
17.	मक्खन बनाने वाली इकाई
18.	घी बनाने वाली इकाई
19.	मिठाई बनाने वाली इकाई
20.	वीर्य भंडारण और तरल नाइट्रोजन भंडारण सुविधा: क्रायोकंटेनर, एलएन और वीर्य परिवहन वाहन
21.	चारा ब्लॉक बनाने वाली इकाई
22.	आवश्यकता के अनुरूप अन्य उपकरण

Annexure II

Model Technical Programme
(for 1000 Animals 60% Productive and 40% unproductive):

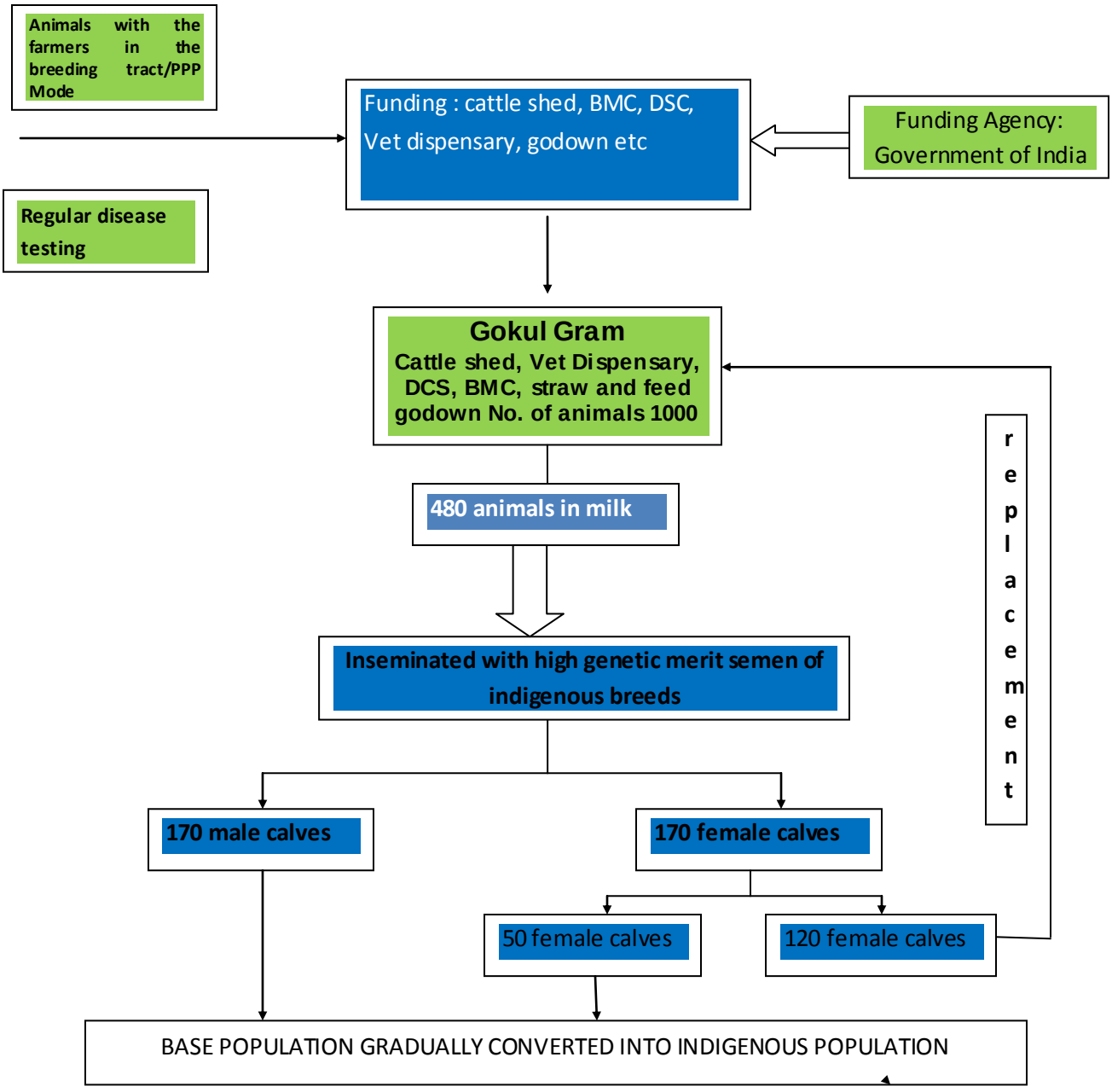

अनुबंध-।।।

परिवर्तन और उपयुक्त प्रौद्योगिकी में भाग लेने वाले संस्थान

1. राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल
2. राष्ट्रीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद
3. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आणंद
4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
5. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं उसके संस्थान
6. राज्य पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय एवं पशुचिकित्सा महाविद्यालय
7. अन्य अनुसंधान संस्थान

राष्ट्रीयगौकुल मिशन के तहत योजनाबद्ध फंड फ्लो चित्र

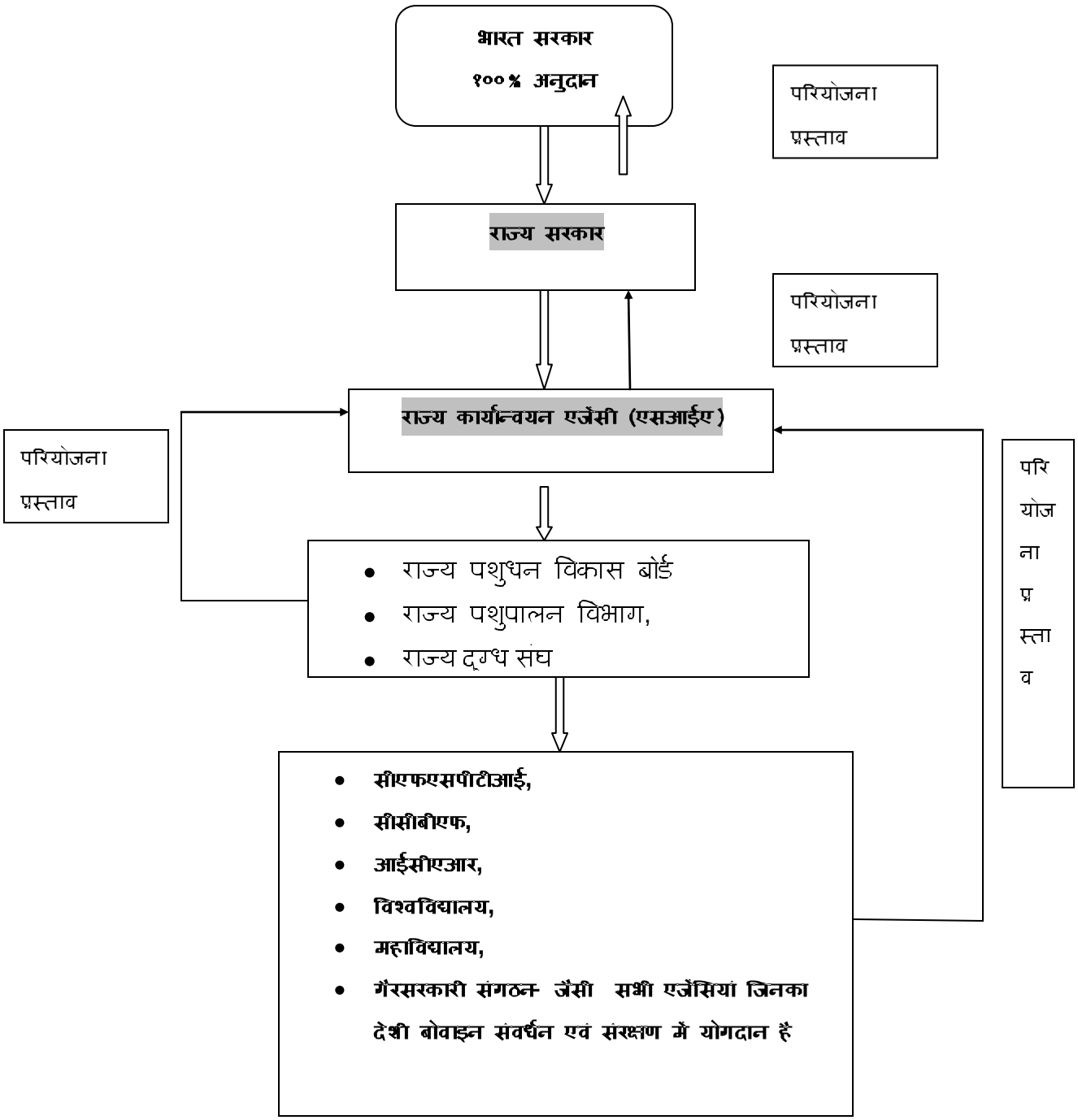

Land required for establishment of Gokul Gram

S. No.	Infrastructure	Unit	Land Required (in sq m)
1.	Cattle Sheds	For 1000 animals 20sq m/animal	20,000
2.	Calf Pens	For 600 calves 10 sq m/calf	6000
3.	Isolation shed	200 sq m for 10 animals	200
4.	Administrative block	300 sq meter	300
5.	Fodder store room	300 sq meter	300
6.	Feed store room	200 sq meter	200
7.	Open Paddock for animals	30 sq meter /animal	48000
8.	Veterinary dispensary	100 sq meter	100
9.	Bio gas plant	1000 sq meter	1000
10.	Manure pits	2000 sq meter	2000
11.	Silage pits	3000 sq meter	3000
12.	Lab(urine distillation)	1000 sq meter	1000
13.	Water body	4000 sq meter	4000
14.	Fodder Block making Unit	1000 sq meter	1000
15.	Vermi compost pits	4000 sq meter	4000
16.	Garage for tractor and other equipments	500 sq meter	500
17	In-house fodder production	half acre /adult animal	2023428
	Total		2115028

Note Total Land required comes to 522 acres to maintain 1000 animals at Goukul Gram.